DEPARTMENT OF TRADE & TAXES
Govt. of NCT of Delhi,
VYAPAR BHAWAN: I.P. ESTATE: NEW DELHI

ATTENTION - PARTICIPANT/EXHIBITORS IN INDIA INTERNATIONAL TRADE FAIR 2017.

1. All participants/exhibitors to India International Trade Fair 2017 are hereby informed that as per Section 24 of GST Act 2017, all Casual Taxable Persons and Non-Resident Taxable Persons making taxable supply are liable to be registered under GST Act (in ward 02 of Trade and Taxes Department), if they are not registered in GST as regular Tax Payers. There is no fee payable for GST Registration.

2. All foreign participants are requested to obtain Non-Resident Taxable Persons Registration in form REG-09, through their Indian agents and Indian residents not registered in GST to obtain Casual Taxable Person Registration in form REG-01. For getting GST Registration PAN is mandatory.

3. The online application is to be made on the portal **www.gst.gov.in** on or before 08/11/2017(Wednesday) or at least five days prior to the commencement of business. Estimated tax needs to be deposited in advance while taking registration.

4. The participants/exhibitors are also requested to maintain proper books of Accounts, issue retail invoices, collect and deposit tax as per GST Act 2017 and obtain a No Dues Certificate from Facilitation Centre of Trade and Taxes Department or from the counter of the Department at Pragati Maidan, before leaving the premises of IITF, on last date. These documents will be required for filing GST Return.

5. Non-compliance will invite penal action as well as penalties as per provisions contained in GST Act-2017

<u>व्यापार एवं कर विभाग</u>

<u>व्यापार भवन आई पी स्टेट नई दिल्ली !</u>

<u>ध्यानाकर्षण:- भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2017 में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी/प्रदर्शक|</u>

1. भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2017 जो 14/11/2017 से शुरू हो रहा है, में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों/प्रदर्शकों को सूचित किया ज़ाता है कि, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुभाग-24 के अनुसार सभी आकस्मिक (कैजुअल) तथा अनिवासी करयोग्य व्यक्ति जो करयोग्य आपूर्ति/ बिक्री करते हैं तथा जो वस्तु एवं सेवा कर (GST) में नियमित कर दाता के रूप में पंजीकृत नहीं है, उन्हें वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में पंजीकरण कराना आवश्यक है (वार्ड -2, वस्तु एवं सेवा कर विभाग) | पंजीकरण के लिए कोई शुल्क देय नहीं है|
2. सभी अनिवासी करयोग्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे फार्म REG-09 द्वारा अपने भारतीय एजेंट के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त करें तथा भारतीय निवासी जो वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत नहीं हैं वे फार्म REG -01 भर कर पंजीकरण प्राप्त करें| वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकरण करवाने के लिए PAN अनिवार्य है|
3. ऑनलाइन आवेदन वेब साईट **<u>www.gst.gov.in</u>** पर दिनाँक 08/11/17 (बुधवार) तक अर्थात 14/11/17 से पाँच दिन पूर्व तक किया जाना चाहिए तथा पंजीकरण करते समय अपना अग्रिम अनुमानित कर जमा कराएँ|
4. सभी प्रतिभागियों/प्रदर्शकों को यह सूचित किया जाता है कि वे वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत अपनी लेखा पुस्तकें, जारी किये गये रिटेल इनवायस को संभाल कर रखें और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसार वसूले गए कर को जमा करायें तथा मेला परिसर को छोड़ने से पूर्व अंतिम दिन अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो आँबजेक्शन सर्टिफिकेट) व्यापार एवं कर विभाग स्थित सुगमता काउंटर अथवा विभागीय सुगमता काउंटर प्रगति मैदान से अवश्य प्राप्त कर लें। यह दस्तावेज GST रिटर्न भरने के लिए आवश्यक होंगे|
5. इनका अनुपालन न करने पर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है एवम् पेनल्टी भी लगायी जा सकती है।